

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 526 / 10

संस्थापन दिनांक:-29 / 09 / 10

फाईलिंग नं. 233504000112010

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

शेख शब्बीर पिता शेख अब्दुल रहमान  
 उम्र 52 वर्ष, निवासी दुर्गा वार्ड, कोठी बाजार बैतूल,  
 थाना बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 25.04.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337(छह: काउंट में), 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 13.09.2010 को समय सुबह 07:30 बजे ग्राम झीटापाटी के पास घाटी मोड़ में ग्राम झीटापाटी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग में बस क. एमपी-05-ए-4999 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर सूचनाकर्ता रामरतन की सूमो में टक्कर मारकर उसमें बैठे मनीराम, रामरतन, चिरोजी, शिवपाल, भूतू, ब्रजलाल को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा गोकुल को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.09.2010 को फरियादी रामरतन एवं शिवलाल, मनीराम, चिरोजी, भूतू, ब्रजलाल, गोकुल कालू सरदार की टाटा सुमो जीप में बैठकर ससाबड़ केशर पर काम करने के लिए सुबह जा रहे थे। उनकी टाटा सुमो को राजेंद्र सिंह सलूजा चला रहा था। सुबह करीब 07:30 बजे झीटापाटी के पास सामने से एक बस को उसका चालक बड़ी तेजी एवं लापरवाही से चलाते लाया और उनकी टाटा सुमो को टक्कर मार दी जिससे उसे एवं गाड़ी में बैठे सभी लोगों को चोटें आयी। अस्पताल चौकी बैतूल से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना आमला में टायर फैंक्ट्री की बस क. एमपी-05-ए-4999 के चालक के विरुद्ध अपराध क. 258 / 10 पंजीबद्ध कर

विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। राजेंद्र कुमार से मीनी बस क्र. एमपी-05-ए-4999 मय मूल रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी एवं फिटनेस के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आहत गोकुल की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिभंग पाये जाने से अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 13.09.2010 को समय सुबह 07:30 बजे ग्राम झीटापाटी के पास घाटी मोड़ में ग्राम झीटापाटी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग में बस क्र. एमपी-05-ए-4999 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर सूचनाकर्ता रामरतन की सूमो में टक्कर मारकर उसमें बैठे मनीराम, रामरतन, चिरोजी, शिवपाल, भूतू, ब्रजलाल को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा गोकुल को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### **।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

#### **विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष**

5 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 भूतू (अ.सा.-1), रामरतन (अ.सा.-2), मनीराम (अ.सा.-3), गोकुल (अ.सा.-4), राजेंद्र सिंह (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को वे जीप में बैठकर ग्राम ससाक की ओर जा रहे थे तभी रास्ते

में उनकी जीप की बस से टक्कर हो गयी जिससे उन्हें चोटें आयी थी। भूतु (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि उसे गर्दन में दाहिनी ओर चोट आयी थी और दाहिना पैर फेक्चर हो गया था। गोकुल (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि उसे टक्कर लगने से दाहिने हाथ में चोट आयी थी और कंधे की हड्डी टूट गयी थी।

7 डॉ. अरविंद भट्ट (अ.सा.-10) ने दिनांक 13.09.2010 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत ब्रजलाल, भूता, शिवलाल, चिरोंजी, गोकुल, रामरतन, मनीराम का चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने पर **आहत ब्रजलाल** के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत के सिर पर बांयी आंख के उपर 1 गुणा 1 चौथाई सेमी. आकार का एक फटा हुआ घाव, **आहत भूता** के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत की गर्दन की दाहिनी ओर फटा हुआ घाव 7 गुणा 3 सेमी. आकार का, दाहिने गाल पर 5 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव, बांये हाथ पर 1 गुणा 1 सेमी. आकार की रगड़, सीने तथा बांये घुटने पर दर्द एवं **आहत शिवलाल** के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत की नाक और उपरी ओट के बीच में 3 गुणा 1 चौथाई सेमी. आकार का फटा हुआ घाव, मस्तक के सामने डेढ़ गुणा आधा सेमी. आकार का फटा हुआ घाव, बांये हाथ पर आधा गुणा आधा सेमी. आकार का फटा हुआ घाव तथा **आहत चिरोंजी** के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत की बांयी हथेली पर 1 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव पाया था।

8 साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि **आहत गोकुल** के परीक्षण के दौरान आहत के बांयी आंख पर भौं से पलक तक 5 गुणा 1 सेमी. आकार का, बांये गाल पर सामने की ओर 5 गुणा 1 सेमी. आकार का, टुंडी पर बांयी ओर नीचले जबड़े में 1 गुणा आधा सेमी. आकार का फटा हुआ घाव, बांये कंधे से भुजा पर अनिश्चित आकार की सूजन एवं ह्यूमरस हड्डी का फेक्चर होना तथा दाहिने हाथ की तीसरी अंगुली पर हथेली के पास वाले पोर पर 1 गुणा 1 चौथाई सेमी. आकार का फटा घाव, बांयी छोटी अंगुली पर नाखून के पास आधा गुणा आधा सेमी. आकार का फटा हुआ घाव, **आहत रामरतन** के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत के मस्तक पर बांयी ओर 3 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव तथा आहत की नाक के अंदर की झिल्ली कंजेस्टेड एवं **आहत मनीराम** के चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान आहत के मस्तक पर दाहिनी भौं के उपर 4 गुणा 2 सेमी., दाहिने कान के लोब्यूल पर 1 गुणा 1 सेमी. दाहिने कान के नीचे 2 गुणा 1 सेमी., दाहिने गाल पर सामने 3 गुणा आधा सेमी. बांये हाथ की मधिम अंगुली पर नाखून वाले हिस्से में 1 गुणा 2 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव तथा दाहिने कंधे पर पीछे की ओर अनिश्चित आकार की सूजन पायी थी। साक्षी ने उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्रदर्श पी-9 लगायत प्रदर्श पी-15 को प्रमाणित भी किया है।

9 डॉ. ओपी यादव (अ.सा.-7) ने दिनांक 13.09.2010 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए डॉ. राठौर द्वारा आहत गोकुल को सिर, दोनों कंधे, दोनों भुजा के एक्सरे के लिए भेजा जाना जिसकी एक्सरे प्लेट क्र. 5649 होना तथा आहत के कंधे के एक्सरे में दांयी ह्यूमरस हड्डी टुटी होना प्रकट करते हुए एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी तथा डॉ. अरविंद भट्ट (अ.सा.-10), भूतु (अ.सा.-1), रामरतन (अ.सा.-2), मनीराम (अ.सा.-3), गोकुल (अ.सा.-4), राजेंद्र सिंह (अ.सा.-5) के कथनों से आहत भूतु, रामरतन, मनीराम, राजेंद्र सिंह को उपहति कारित होने एवं गोकुल को घोर उपहति कारित होने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

10 बसंत मिरासे (अ.सा.-8) ने दिनांक 14.09.2010 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए पुलिस चौकी जिला चिकित्सालय से बस क्र. एमपी-05-ए-4999 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट असल कायमी हेतु प्राप्त होने पर बस क्र. एमपी-05-ए-4999 के चालक के विरुद्ध अपराध क्र0 258/10 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-7) लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उसे प्रमाणित किया है।

11 राजू साहू (अ.सा.-6) ने दिनांक 16.09.2010 को पुलिस थाना आमला के अपराध क्र. 258/10 से संबंधित मिनीबस क्र. एमपी-5-ए-4999 का मैकेनिकल परीक्षण किया प्रकट करते हुए वाहन के ब्रेक, क्लच, स्टेरिंग, लाईट एवं हार्न ठीक होना एवं टाईराड, एनट ठीक नहीं प्रकट करते हुए वाहन परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) को प्रमाणित किया है।

12 एस.आर. यादव (अ.सा.-10) ने दिनांक 15.09.2010 को चौकी बोडखी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 258/10 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) एवं राजेंद्र कुमार से मिनीबस क्र. एमपी-05-ए-4999 को मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-8) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-12) तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

13 प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्त शेख शब्बीर के द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्वक बस चलायी जा रही थी। इस संबंध में साक्षी भूतु ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को वह जीप में बैठकर अन्य मजदूरों के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में फैंक्ट्री की बस ने उनकी जीप को टक्कर मार दी थी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि बस बहुत स्पीड से आ रही थी और बस कौन चला रहा था उसका वह नाम नहीं जानता। रामरतन (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि ६

टटना दिनांक को वह टाटा सुमो में बैठकर अन्य 6-7 लोगों के साथ ग्राम ससाक जा रहा था तभी सामने से अभियुक्त शेख शब्बीर बस को **कम स्पीड में लाया** और सुमो को टक्कर मार दी। मनीराम (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि घटना दिनांक को वह सुमो में बैठकर अन्य 7-8 लोगों के साथ ससाक की ओर जा रहा था। सामने से एक बस तेज गति से आयी और उनकी टाटा सुमो में टक्कर मार दी थी। बस को न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त शेख शब्बीर बड़ी तेजी से चला रहा था।

14 गोकुल (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि घटना दिनांक को वह टाटा सुमो में बैठकर पंखा की ओर आ रहे थे। बस बैतूल की ओर जा रही थी, अचानक बस और जीप की टक्कर हो गयी। राजेंद्र सिंह (अ.सा.-5) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को वह सुमो वाहन से खापा से आमला की ओर आ रहा था और सुमो वाहन को वह स्वयं चला रहा था। घटना स्थल पर सामने की ओर से बस बहुत तेजी और लापरवाही से चलाते हुए गलत दिशा से आया और सुमो को टक्कर मार दी। बस को अभियुक्त शेख शब्बीर चला रहा था। अभियुक्त शब्बीर की गलती और लापरवाही से दुर्घटना हुई थी।

15 साक्षी रामरतन(अ.सा.-2) ने अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर यह सही होना बताया है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त शेख शब्बीर ने बस क्र. एमपी-05-ए-4999 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर टाटा सुमो में टक्कर मार दी थी। साक्षी मनीराम (अ.सा.-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त शेख शब्बीर के द्वारा बस को तेज गति से चलाया जाना बताया है। गोकुल (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर यह बताया है कि उसने बस को देखा था, बस टायर फैंक्ट्री की थी और बस को ड्रायवर शेख शब्बीर चला रहा था। उपर्युक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी है कि घटना दिनांक को वाहन बस अभियुक्त शेख शब्बीर चला रहा था। घटना दिनांक को वाहन बस अभियुक्त शेख शब्बीर चला रहा था इस तथ्य पर उपर्युक्त साक्षीगण अपने प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहे हैं जिससे यह स्थापित होता है कि घटना दिनांक को टक्कर मारने वाली बस को अभियुक्त शेख शब्बीर ही चला रहा था।

16 प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा बस को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाया जा रहा था। अभियुक्त द्वारा बस को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाये जाने के संबंध में भूतु (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि बस बहुत तेजी से आयी थी और उनकी सुमो गाड़ी को टक्कर मार दी थी। रामरतन (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि अभियुक्त

बस को कम स्पीड में लाया था और उनकी सुमो में टक्कर मार दी थी परंतु अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त ने बस को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर टाटा सुमो में टक्कर मारी थी। मनीराम (अ.सा.-3) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त शेख शब्बीर द्वारा बस को तेज गति से चलाया जाना बताया है। गोकुल (अ.सा.-4) ने न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर यह बताया है कि उसने पुलिस को यह बता दिया था कि झीटापाटी के पास सामने से एक बस का चालक तेजी एवं लापरवाही से बस को चलाकर उनकी टाटा सुमो को टक्कर मार दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी गोकुल (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि वह सुमो जीप में पीछे बैठा था इसलिए नहीं बता सकता कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ था। रामरतन (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह सुमो गाड़ी में अंदर बैठा था और बचाव के इस सुझाव को भी सही बताया है कि सुमो गाड़ी के ड्रायवर ने बस को टक्कर मारी थी और यह भी बताया है कि उसने पुलिस को बता दिया था कि सुमो के ड्रायवर ने बस को टक्कर मारी थी।

17 साक्षी मनीराम (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह जीप में पीछे बैठा था। जीप के ड्रायवर ने बस को कैसे टक्कर मार दी उसने नहीं देखा था परंतु आगे इस साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि जीप का ड्रायवर गाड़ी को तेजी से चला रहा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 03 में साक्षी ने यह बताया है दुर्घटना कैसे हुई वह नहीं देख पाया था क्योंकि वह पीछे बैठा था और इस सुझाव को भी सही बताया है कि किसने गाड़ी को तेज चलायी और किसकी लापरवाही से टक्कर हुई वह नहीं बता सकता। गोकुल (अ.सा.-4) ने भी प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना कैसे हुई उसे नहीं मालूम क्योंकि वह गाड़ी के अंदर बैठा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 04 में यह भी बताया है कि बस वाला अपनी साईड से सावधानीपूर्वक बस चलाकर लाया था। अचानक बीच में एक गाड़ी उनकी गाड़ी को ओव्हरटेक करने लगी तो आमने-सामने टक्कर हो गयी थी। इस प्रकार साक्षी भूतु (अ.सा.-1), रामरतन (अ.सा.-2), मनीराम (अ.सा.-3), गोकुल (अ.सा.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा तेजी एवं लापरवाही से बस को चलाया जाना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षीगण ने यह बताया है कि उन्होंने देखा नहीं था कि अभियुक्त बस को कैसे चला रहा था। साक्षी रामरतन (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में सुमो के ड्रायवर द्वारा बस को टक्कर मार देना बताया है। गोकुल (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि बस वाला अपनी साईड से सावधानीपूर्वक बस चलाकर ला रहा था, अचानक किसी गाड़ी ने ओव्हरटेक किया तो टक्कर हो गयी थी। अतः उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त शेख शब्बीर के द्वारा वाहन को कैसे चलाया जा रहा था।

18 राजेंद्र सिंह (अ.सा.-5) जो कि सुमो जीप का चालक था उसने यह बताया है कि घटना स्थल पर सामने की ओर से बस वाला बहुत तेजी और लापरवाही से चलाते हुए गलत दिशा से आया और उसकी सुमो को टक्कर मार दिया था। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बताया है कि बस अभियुक्त शेख शब्बीर चला रहा था और शेख शब्बीर की गलती और लापरवाही से दुर्घटना हुई थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि जहां पर दुर्घटना हुई थी वह रास्ता गोलाईदार था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि बस वाला अपनी साईड से चल रहा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 06 में साक्षी ने सुझाव दिये जाने पर यह बताया है कि वह अपनी लेफ्ट साईड से सुमो जीप को चला रहा था और बस चालक भी बस को लेफ्ट साईड से चला रहा था। साक्षी ने स्वतः में कहा कि बस चालक बस को लेफ्ट साईड से उनकी साईड पर ले आया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि जैसे ही घटना घटित हुई वह बेहोश हो गया और पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने बस चालक को भी नहीं देख पाया था।

19 प्रकरण में अभियुक्त शेख शब्बीर द्वारा वाहन उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाये जाने के संबंध में मात्र साक्षी राजेंद्र सिंह (अ.सा.-5) की साक्ष्य उपलब्ध है। उपर्युक्त साक्षी ने यह बताया है कि घटना स्थल गोलाईदार मार्ग है। विवेचक साक्षी एस.आर. यादव (अ.सा.-11) ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 03 में यह बताया है कि घटना स्थल गोलाईदार क्षेत्र है और यह भी सही होना बताया है कि गोलाईदार रास्ता होने से सामने से अचानक कोई वाहन आता है तो उसे देख पाना संभव नहीं है। राजेंद्र सिंह (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त शेख शब्बीर द्वारा बस को लापरवाही से चलाया जाना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने बस चालक को नहीं देखा था और जैसे ही घटना हुई वह बेहोश हो गया था। नक्शा मौका (प्रदर्श पी-2) के अवलोकन से भी यह प्रकट हो रहा है कि घटना स्थल मोड़ वाला भाग है और घटना स्थल गोलाईदार मार्ग होने से आमने-सामने से आ रहे वाहनों को देखा जाना भी संभव नहीं है। साक्षी राजेंद्र सिंह (अ.सा.-5) ने अपने परीक्षण में यह भी बताया है कि जैसे ही टक्कर हुई थी वैसे ही वह बेहोश हो गया था तब ऐसी स्थिति में भी उपर्युक्त साक्षी के कथनों से भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त सामने से वाहन बस को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए लाया था। नक्शा मौका (प्रदर्श पी-2) अनुसार जो स्थान घटना स्थल बताया गया है वहां से सामने से आ रहे वाहन को देखा जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि घटना स्थल अत्यन्त गोलाईदार मार्ग है। साथ ही वाहन की मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) के अवलोकन से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है कि बस किस साईड में टक्कर लगने से क्षतिग्रस्त हुई थी।

20 इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक को वाहन बस का अभियुक्त शेख शब्बीर के द्वारा चलाया जाना प्रमाणित हो रहा है परंतु अभियुक्त के द्वारा वाहन उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया गया था ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है।

### **विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण**

21 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर बस क्र. एमपी-05-ए-4999 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर सूचनाकर्ता रामरतन की सूमो में टक्कर मारकर उसमें बैठे मनीराम, रामरतन, चिरोंजी, शिवपाल, भूतू, ब्रजलाल को स्वेच्छया उपहति कारित की तथा गोकुल को स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त शेख शब्बीर को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337(छह: काउंट में), 338 के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22 प्रकरण में जप्तशुदा मीनी बस क्र. एमपी-05-ए-4999 मय दस्तावेजों के मिशीगन रबर इंडिया लिमिटेड बैतूल की ओर से मुख्याारप्राप्तकर्ता श्री आर.के. दीक्षित पिता एस.पी. दीक्षित निवासी बैतूल तहसील जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

23 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

24 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)